अल्पकालिक निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि द्वितीय वाहिनी पीएसी, सीतापुर में स्थापित शौर्या गेस्ट हाउस में निम्न शर्तो के अधीन प्राइवेट फण्ड (एमनेटीज फण्ड) से कार्य कराये जाने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी लखनऊ अनुभाग लखनऊ से अनुमति माँगे जाने के क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी लखनऊ अनुभाग लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्याः पीएसी–एल/एस–एसी–3–414(द्वितीय)/2024 दिनांकः 19.04.2024 के द्वारा अनुमति प्रदत्त करते हुए टेन्डर के माध्यम से कार्य कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। फलस्वरूप कराये जाने वाले कार्यो हेतु निविदा दिनांकः 30/ 04/2024 को आमंत्रित की जाती है जो तद्दिनांक को ही अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत किये गये राजपत्रित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

कराये जाने वाले कार्य का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कराये जाने वाले कार्य की धनराशि	टेण्डर फार्म शुल्क	अर्नेस्ट मनी
1	शौर्या गेस्ट हाउस की छत मरम्मत का कार्य (आगणन के अनुसार)	67400.27/–	रू0 300/–	कार्य की धनराशि का 02 प्रतिशत
2	शौर्या गेस्ट हाउस के भीतरी भाग की रंगाई पुताई का कार्य (आगणन के अनुसार)	96354.55/–	रू0 300/–	कार्य की धनराशि का 02 प्रतिशत
3	शौर्या गेस्ट हाउस के गार्द रूम व किचन के बाहरी व भीतरी रंगाई पुताई का कार्य (आगणन के अनुसार)	44043.31/–	रू0 300/–	कार्य की धनराशि का 02 प्रतिशत
4	शौर्या गेस्ट हाउस के बाहरी भाग तथा खिडकी दरवाजो की रंगाई पुताई का कार्य (आगणन के अनुसार)	29832.71/–	रू0 300/–	कार्य की धनराशि का 02 प्रतिशत
5	शौर्या गेस्ट हाउस के लिए 25 लीटर का बजाज इलेक्ट्रिक गीजर (न्यूनतम कोटेशन के अनुसार)	10490.00/–	रू0 300/–	कार्य की धनराशि का 02 प्रतिशत
	योग	2,48,120.84/–		

निविदा की शर्ते

1– निविदा फार्म दिनांकः 29/04/2024 तक की अवधि में किसी भी क़ार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सॉयकाल 1700 बजे के मध्य निर्धारित शुल्क रू0 300/– जमा कर पत्र व्यवहार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

2– उपरांकित प्रत्येक कार्य हेतु अलग–अलग निविदा दिनांकः30/ 04/2024 को 1300 बजे तक डाली जायेगी।

3– निविदा के साथ सम्बन्धित फर्म को प्रस्तावित कार्य का स्पेसिफिकेशन, उपयोगिता, कार्य पूर्ण करने की अवधि आदि स्पष्ट विवरण/चार्ट संलग्न करना होगा। साथ ही सम्बन्धित फर्म को निविदा के साथ अपने आयकर रिटर्न, रजिस्टेशन, चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– निविदा न्यूनतम दर के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार की जायेगी।

5– ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/फर्म निविदा नहीं डाल सकेगें। निविदा दाता को निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा क उनकी फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं की गयी है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास रहेगा।

6– उक्त कार्यों से सम्बन्धित शर्त निर्देश एवं आगणन, द्वितीय वाहिनी पीएसी, सीतापुर के कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक फर्मे किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

7– वह ठेकेदार जिसका टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा, वह तत्काल अनुबन्ध पत्र भरेगा। ऐसा न करने पर अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और स्वीकृत रद्द कर दी जायेगी।

8– ठेकेदार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व कार्य की भली भॉति निरीक्षण कर ले, तथा कार्य की जानकारी प्राप्त कर लें अन्यथा बाद में इस सम्बन्ध में इस कार्यालय की कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9– सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

10– विलम्ब अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

11– ठेकेदार को एक प्रतिशत जीएसटी एवं एक प्रतिशत सीजीएसटी स्वीकृत धनराशि से कटौती करने के उपरान्त किया जायेगा।

12– चालू वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

13– निविदा अद्योहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसी दिन दोपहर 1600 बजे खोली जायेगी।

14– निविदा स्वीकृति के पश्चात अनुबन्ध के पूर्व अर्नेस्ट मनी को सम्मिलित करते हुए अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी।

15– वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकृत की जायेगी कार्य पूर्ण करने का अनुबन्ध पत्र 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर जमानत धनराशि जब्त कर निविदा रद्द कर दी जायेगी। वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकृत कर ली गयी है। वह कार्य प्रारम्भ करने के आदेश मेंविलम्ब होने की दशा में अपनी निविदा को परिवर्तित करने का दावा नहीं कर सकेगा।

16– बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी के पास समस्त अथवा किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

17– वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली जायेगी। वह अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जारी आदेश की तिथि/अनुबन्ध में अंकित तिथि से कार्य प्रारम्भ करेगा। तथा नियत तिथि पर कार्य पूर्ण कर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेगा।

18– अद्योस्ताक्षरी न्यूनतम/अधिकतम निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा उसका कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

19– यदि ठेकेदार के विषय में अवांछनीय गतिविधि प्रकाश में आती है तो उसको नोटिस देकर उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

20– ठेकेदार द्वारा यदि पानी बिजली का उपभोग किया जाता है तो नियमानुसार उपभोग की धनराशि जमा करनी होगी। अन्यथा अन्तिम भुगतान से उक्त धनराशि की कटौती की जायेगी।

21– ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उपरोक्त कार्यो को पूर्ण नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में पेनाल्टी धनराशि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित की जायेगी। जो ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान से कटौती की जायेगी।

22– किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जनपद–सीतापुर होगा।

23– निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त दिनांक:20/05/2024 तक उपरोक्त कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में असफल रहने की स्थिति में पेनाल्टी के तौर पर धनराशि निर्धारित की जायेगी।

पत्र संख्याः भ– 1 /2024
दिनांकः 23/04/2024

23/04/2024

सेनानायक
द्वितीय वाहिनी पीएसी
सीतापुर

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– कंट्रोल रूम पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा का प्रकाशन उ0प्र0 पुलिस की बेबसाइट पर कराने का कष्ट करें। (सीडी संलग्न है।)

2– पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

3– पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मध्य जोन, उ0प्र0 लखनऊ।

4– पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी, लखनऊ अनुभाग, लखनऊ।

5– जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/जिला उद्योग अधिकारी जनपद–सीतापुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए प्रचार प्रसार करानें का भी कष्ट करें।

6– सेनानायक, 11वीं/27वीं/एपीटीसी/पीटीसी/पुलिस अधीक्षक सीतापुर।

7– जोनल अवर अभियन्ता, पीएसी मध्य जोन उ0प्र0 लखनऊ।